भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *2

गुरूवार, 29 जनवरी, 2026/9 माघ, 1947 (शक)

जीडीपी वृद्धि की रोजगार लोच

***2. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2019 से नियमित वेतनभोगी रोजगार से संबंधित गतिरोध को, जिसमें कर्नाटक संबंधी राज्य-वार रुझान भी शामिल हैं, दर्शाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) संबंधी आंकड़ों के दृष्टिगत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि की घटती हुई रोजगार लोच का विश्लेषण किया है; और

(ख) क्या इस विचलन को दूर करने के लिए कोई क्षेत्र-वार रोजगार मानदंड या रोजगार-संबंधी वृद्धि लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं**?**

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ मनसुख मांडविया)

(क) एवं (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

"जीडीपी वृद्धि की रोजगार लोच" के संबंध में श्री जी.सी. चन्द्रशेखर द्वारा दिनांक 29.01.2026 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *02 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) एवं (ख): रोजगार और बेरोजगारी का डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है यह सर्वेक्षण सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से किया जा रहा है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार को (नियमित वेतनभोगी/कामगारों सहित) दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2017-18 में 46.8% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 58.2% हो गया है और इसी अवधि के दौरान कर्नाटक राज्य में यह 49.1% से बढ़कर 55.2% हो गया है।

इसके अतिरिक्त, देश में सामान्य स्थिति के आधार पर नियमित वेतनभोगी/कामगारों का प्रतिशत वितरण वर्ष 2022-23 में 20.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 21.7 प्रतिशत हो गया है।

इसके अलावा, सितंबर, 2017 और जुलाई, 2025 के बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में 8.23 करोड़ से अधिक शुद्ध अभिदाता शामिल हुए हैं, जो रोजगार में वृद्धि और बाजार के व्यवस्थित होने का संकेत देते हैं। साथ ही, 2024-25 के दौरान ईपीएफओ में 1.29 करोड़ से अधिक शुद्ध अभिदाता शामिल हुए हैं।

रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है और यह एक बहु-हितधारक पहल है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा **https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes** पर देखा जा सकता है।

सरकार कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, देश भर में कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों /महाविद्यालयों/ संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) तथा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण का कार्यान्वयन भी कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के (कर्नाटक सहित) युवाओं को उद्योग जगत से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

इसके अलावा, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन नौकरी मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

*****